उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या 498 /आठ–1–23–1450/2022टी0सी0 1
लखनऊ : दिनॉक: 18 मई, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु बजटीय धनराशि की स्वीकृति एवं इसके उपयोग के निगरानी हेतु निम्नवत 'स्वीकृति एवं निगरानी समिति' का गठन किया जाता है :–

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (यथास्थिति)	**अध्यक्ष**
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन (यथास्थिति) द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न हों।	**सदस्य**
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन (यथास्थिति) द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न हों।	**सदस्य**
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन (यथास्थिति) द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न हों।	**सदस्य**
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन (यथास्थिति) द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न हों।	**सदस्य**
6.	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/संबंधित उपाध्यक्ष, उ0प्र0 विकास प्राधिकरण/संबंधित अध्यक्ष, उ0प्र0 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।	**सदस्य**

नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव/वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/अध्यक्ष/जिलाधिकारी, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
7. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
18.5.2023
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

Karyalaya Gyap-1